



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.स./2023/2548

दिनांक 12/05/2023

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान विश्वविद्यालय के विभागों/केन्द्रों में संचालित स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों में द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के पुनः प्रवेश हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 10/05/2023 की अनुपालना में निम्न विभागों को दिनांक 16/05/2023 तक ऑफलाइन चालान के माध्यम से शुल्क जमा करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1.	विधि विभाग	एल.एल.एम. (ह्यूमन राइट) द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर
2.	प्राणीशास्त्र विभाग,	एम.एस.सी माइक्रोबायोलॉजी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर
3.	शारीरिक शिक्षा विभाग	बी.पी.एड व एम.पी.एड चतुर्थ सेमेस्टर (Second Term)
4.	सांख्यिकी विभाग	एम.ए/एम.एस.सी. (सांख्यिकी) IV सेमेस्टर

चित्रकला विभाग में संचालित एम.ए चित्रकला चतुर्थ सेमेस्टर स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क डी.डी. के माध्यम से जमा करने की व साथ ही संगीत विभाग में संचालित एम.पी.ए. कथक एवं तबला (स्ववित्तपोषी) पाठ्यक्रम की विद्यार्थियों से तृतीय सेमेस्टर के साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर की शुल्क एक साथ ही ली गई थी, जिसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

SGL
(डॉ. कुलदीप मिश्रा)

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक-2)

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.स./2023/2549-60

दिनांक 12/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रो. एस.एल.शर्मा, संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष, विधि विभाग/चित्रकला विभाग/संगीत विभाग/प्राणीशास्त्र विभाग/शारीरिक शिक्षा विभाग/सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. उप-कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थियों की चालान के माध्यम से ऑफलाइन शुल्क जमा करवाना सुनिश्चित करें।
5. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई बैंक बापू नगर शाखा, जयपुर।
6. निजी सचिव-कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

12.5.2023
(डॉ. कुलदीप मिश्रा)

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक-2)